न्यूज़ टुडे

श्रीलंका की मेजबानी में पांचवें बिम्सटेक (BIMSTEC) शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया

- हाल ही में, वर्चुअल माध्यम से **बिम्सटेक** (बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी–सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक को–ऑपरेशन) **शिखर सम्मेलन** का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधान मंत्री ने **सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ाने का आह्वान किया।** साथ ही, उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अब **बंगाल की खाड़ी (बे ऑफ़ बंगाल)** को, सदस्य देशों के बीच **"कनेक्टिविटी, समृद्धि और सुरक्षा का सेतु" बनाने का समय** आ गया है।
  - इसके अलावा, भारत ने **बिम्सटेक सचिवालय** के **ऑपरेशनल बजट** को बढ़ाने के लिए **10 लाख डॉलर** देने की भी घोषणा की।
- **पांचवें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के मुख्य निष्कर्षों पर एक नज़र:**
  - इस शिखर सम्मेलन में **"बिम्सटेक चार्टर"** को **अपनाया** गया और उस पर **हस्ताक्षर** किये गए। यह चार्टर बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित तथा उस पर निर्भर सदस्य देशों के समूह को एक औपचारिक स्वरूप प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, इस चार्टर के चलते अब **बिम्सटेक** एक **समूह (ग्रुपिंग)** के बजाय औपचारिक रूप से एक **संगठन (ऑर्गेनाईजेशन)** में तब्दील हो जाएगा।
    - यह चार्टर बिम्सटेक को एक नई **अंतर्राष्ट्रीय पहचान** दिलाएगा।
    - इसमें **औपचारिक रूप से बिम्सटेक के उद्देश्यों और सिद्धांतों** को भी निर्धारित किया गया है।
    - ज्ञातव्य है कि एक समर्पित चार्टर के अभाव में, अभी तक बिम्सटेक का आयोजन या संचालन **वर्ष 1997 के बैंकाक घोषणा–पत्र** के आधार पर किया जाता था।
- बिम्सटेक के लीडर्स इस समूह के **कामकाज** को **सात खंडों (Seven segments) में विभाजित** करने के लिए सहमत हुए हैं। भारत, **'सुरक्षा'** सेगमेंट में नेतृत्व प्रदान करेगा।
  - **ये सात खंड निम्नलिखित हैं:**
    - व्यापार, निवेश और विकास;
    - पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन;
    - **सुरक्षा** (भारत के नेतृत्व में);
    - कृषि और खाद्य सुरक्षा;
    - सदस्य देशों के लोगों के बीच संपर्क;
    - विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार; तथा
    - कनेक्टिविटी।
- इस शिखर सम्मेलन में **"ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए मास्टर प्लान"** की घोषणा की गयी। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय और घरेलू कनेक्टिविटी के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करना है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "रैंप (RAMP) योजना" के लिए 808 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी

- **RAMP, केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है। इसे **विश्व बैंक** की सहायता से शुरू किया गया है। यह योजना कोविड–19 वैश्विक महामारी से निपटने और इससे उबरने के लिए **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय** के अलग–अलग प्रयासों को सहायता प्रदान करती है। रैंप (RAMP) योजना का पूरा नाम है– "MSME के प्रदर्शन को बेहतर करना और इसकी गति में तेजी लाना" (Raising and Accelerating MSME Performance: RAMP)।
  - यह एक नई योजना है। इसकी शुरुआत वित्त वर्ष 2022–23 में होगी। इस **योजना की अवधि 5 वर्ष है।**
- **इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
  - **MSMEs के लिए बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार करना,**
  - **केंद्र और राज्य स्तर पर संस्थानों और गवर्नेंस को मजबूत करना,**
  - **केंद्र–राज्य संबंधों और साझेदारी में सुधार करना,**
  - **MSMEs को भुगतान में होने वाली देरी का समाधान करना, और**
  - **MSMEs को पर्यावरण के अनुकूल बनाना।**
- इस योजना की निगरानी और नीतिगत समीक्षा **"राष्ट्रीय MSME परिषद"** नामक एक शीर्ष निकाय द्वारा की जाएगी। इसकी अध्यक्षता **MSME मंत्री** करेंगे। इस परिषद में **अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि** भी शामिल होंगे। इसकी सहायता के लिए एक **सचिवालय** भी होगा।
- **RAMP योजना का महत्व:**
  - यह योजना निम्नलिखित के माध्यम **से आत्मनिर्भर भारत मिशन में सहायता प्रदान करेगी:**
    - नवाचार को बढ़ावा देकर,
    - औद्योगिक मानकों को सुधार करके,
    - घरेलू विनिर्माण आदि को बढ़ावा देकर।
  - यह योजना MSMEs हेतु अधिक प्रभावी और किफायती हस्तक्षेपों के लिए **नीति तैयार करने** में सहायता प्रदान करेगी। इससे MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता और व्यावसायिक संधारणीयता में सुधार होगा।
  - इसके तहत MSMEs को अधिक प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक **तकनीकी इनपुट्स उपलब्ध कराए जाएंगे।**
  - इसके तहत राज्यों में **MSMEs के विस्तार को बढ़ावा** देने का प्रयास किया जाएगा।
  - यह योजना **रोजगार पैदा करने, बाजार को आगे बढ़ाने और वित्त की उपलब्धता** में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह कमजोर वर्गों और हरित पहलों को भी समर्थन प्रदान करेगी।

RAMP योजना के उद्देश्य:
- MSME कार्यक्रम से जुड़े संस्थानों और गवर्नेंस को मजबूत बनाना,
- बाजार एवं वित्त तक पहुँच तथा क्षमता निर्माण में MSMEs की मदद करना।

सरकार ने "इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS)" का दायरा बढाया और इसकी वैधता बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी है

- **नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) ने ECLGS 3.0** के लिए परिचालन दिशा–निर्देशों (operational guidelines) में संशोधन जारी किए हैं।
  - **ECLGS 3.0** के तहत निम्नलिखित कारोबारी या उद्यम ऋण प्राप्त कर सकेंगे:
    - हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के व्यावसायिक उद्यम,
    - यात्रा और पर्यटन क्षेत्र के व्यावसायिक उद्यम,
    - मनोविनोद (leisure) एवं खेल क्षेत्र के व्यावसायिक उद्यम।
- **मुख्य संशोधन:**
  - इसके तहत **ऋण समर्थन (क्रेडिट सपोर्ट) में अतिरिक्त वृद्धि** की गई है। अब ECLGS 3.0 के तहत **फंड और नॉन–फंड आधारित क्रेडिट या ऋण बकाया का 50%, ऋण समर्थन** के रूप में दिया जाएगा। इससे पहले केवल फंड–आधारित क्रेडिट बकाया का **40%, ऋण समर्थन** के रूप में दिया जाता था।
  - **उड्डयन उद्योग** से संबंधित MSMEs के लिए ऋण की अधिकतम सीमा में बढ़ोतरी की गई है। इसे 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
  - **नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पात्र उधारकर्ताओं** को अब **नॉन–फंड आधारित आपातकालीन ऋण सुविधाओं** का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है।
- ECLGS को वर्ष 2020 में आरंभ किया गया था। इसकी घोषणा "आत्मनिर्भर भारत अभियान" के अंतर्गत **2 ट्रिलियन रुपये के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के प्रमुख घटकों में से एक के रूप में की गई थी।**
  - यह योजना **बैंकों** और **गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs)** को उनके द्वारा दिये गये ऋण के एवज में 100% गारंटीकृत कवरेज प्रदान करती है। इस प्रकार, यह बैंकों और NBFCs को आपातकालीन ऋण प्रदान करने के लिए सक्षम बनाती है। इसका उद्देश्य कोविड–19 से प्रभावित कारोबारी या उद्यमों की अतिरिक्त टर्म लोन / कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है।
  - इस योजना के तहत ब्याज दरों को निर्धारित किया गया है। **बैंक और वित्तीय संस्थान 9.25% तथा NBFCs 14%** की दर से ब्याज वसूल सकते हैं।

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने आनुवंशिक रूप से संशोधित (Genetically Modified: GM) पादपों और सजीवों के लिए नियमों में ढील दी है

- केंद्र सरकार ने **कुछ प्रकार की जीनोम एडिटेड फसलों को आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों पर लागू होने वाले कड़े नियमों से छूट देने का आदेश जारी** किया है। केंद्र सरकार द्वारा पहली बार ऐसा कोई आदेश जारी किया गया है। इससे जीनोम एडिटेड फसलों के संबंध में और अधिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा मिलेगा।
  - हाल के दिनों में, **कई देशों ने जीनोम एडिटिंग तकनीक के माध्यम से विकसित सब्जियों, फलों, तिलहन और अनाज की वाणिज्यिक खेती करने की मंजूरी दी है।** इन फसलों में शामिल हैं– गामा–एमिनोब्यूटिरिक एसिड या GABA टमाटर, हाई ऑलिक कैनोला और सोयाबीन, नॉन–ब्राउनिंग मशरूम, आदि ।
- **नये नियमों के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र:**
  - नये नियमों के तहत **SDN1 और SDN2 जीनोम एडिटेड उत्पादों को ट्रांसजेनिक उत्पादों (GMOs) के रूप में माने जाने से** छूट प्रदान की गई है। साथ ही, इन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी (GEAC) के दायरे से भी बाहर रखा गया है।
    - **SDN1 और SDN2 तकनीक:** इसके तहत किसी फसल या सजीव के जीनोम में कुछ लक्षणों को निष्क्रिय (knocking off) कर दिया जाता है या उसके प्रभाव को अत्यधिक बढ़ा दिया (overexpressing) जाता है। इस प्रकार, इस तकनीक के तहत किसी फसल या सजीव में बाहर से किसी भी जीन या आनुवंशिक सामग्री का प्रवेश नहीं कराया जाता है।
    - **SDN का आशय "साइट–डायरेक्टेड न्यूक्लीज" से है।** यह जीनोम एडिटिंग के लिए डी.एन.ए. स्ट्रैंड्स के कुछ हिस्सों को काट कर अलग करने की एक प्रक्रिया है।
  - **SDN3** तकनीक के तहत जीनोम एडिटेड उत्पादों को **आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (Genetically Modified Organisms: GMOs)** के रूप में माना जाता है।
    - **SDN3 तकनीक:** इसके तहत किसी सजीव में बाहरी जीन सामग्री का प्रवेश कराया जाता है।

- **जीन एडिटिंग** के तहत किसी कोशिका या किसी सजीव के डी.एन.ए. में विशेष बदलाव किये जाते हैं।
- किसी जीवित सजीव में जब बाहरी जीन सामग्री का प्रवेश कर उसके डी.एन.ए. में संशोधन किया जाता है, तो उसे **आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव यानी GMO** कहते हैं।

GMOs	CRISPR जीन एडिटिंग
तकनीक: डी.एन.ए. स्ट्रैंड्स में बाहरी जीन सामग्री का प्रवेश कराया जाता है।	**तकनीक:** जीन को काट कर या उसे अलग कर उसके डी.एन.ए. को संशोधित किया जाता है।
परिणाम: फसल में नए जीन से संबंधित बेहतर गुण/लक्षण शामिल हो जाते हैं। परीक्षणों (टेस्ट्स) के माध्यम से आनुवंशिक संशोधन का पता लगाया जा सकता है।	**परिणाम:** फसल का डी.एन.ए. बदल जाता है। हालांकि, परीक्षणों से आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड फसलों और पारंपरिक ब्रीडिंग तकनीक से विकसित फसलों में अंतर का पता नहीं लगाया जा सकता है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो/ISRO) अंतरिक्ष मलबे की निगरानी को और बेहतर बना रहा है

- इसरो ने **"नेटवर्क फॉर ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस (नेत्र/NETRA)"** नामक एक परियोजना आरंभ की है। इसकी सहायता से इसरो, **कक्षीय मलबों पर नजर रखने की क्षमता का निर्माण कर रहा है। नेत्र,** भारतीय उपग्रहों के लिए खतरा बनने वाले कक्षीय मलबे और अन्य खतरों का पता लगाने वाली एक अग्रिम चेतावनी प्रणाली है।
  - वर्तमान में, इसरो के पास **श्रीहरिकोटा में एक मल्टी–ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार** है, लेकिन इसकी **क्षमता सीमित है।**
- **इसरो द्वारा अंतरिक्ष मलबे की निगरानी पर एक नज़र:**
  - इसके तहत 1,500 कि.मी. की रेंज तक अंतरिक्ष मलबे पर नजर रखने वाले **ट्रैकिंग रडार** और एक **ऑप्टिकल टेलीस्कोप** की स्थापना की जाएगी।
  - यह रडार 10 से.मी. और उससे बडे आकार के मलबे का पता लगाने और उन पर नजर रखने में सक्षम होगा। इस रडार को देश में ही डिजाइन कर बनाया जाएगा।
- **अंतरिक्ष मलबा:** इसका आशय मानव द्वारा पृथ्वी की कक्षा में छोड़े गए कृत्रिम वस्तुओं या उनके टुकड़ों या मलबे से है। इनमें अनुपयोगी उपग्रह, रॉकेट से अलग होने वाले भाग और अंतरिक्ष यान से अलग हुए टुकड़े आदि शामिल होते हैं।
  - वर्तमान में, **निम्न भू–कक्षा (लो–अर्थ–ऑर्बिट) में उपग्रहों और अंतरिक्ष मलबे सहित लगभग 20,000 वस्तुएं मौजूद हैं।**
- **ये मलबे निम्नलिखित वजहों से खतरनाक सिद्ध होते हैं:**
  - ये चालू उपग्रहों और अंतरिक्ष यान के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं;
  - ये अंतरिक्ष स्टेशन से टकरा सकते हैं;
  - इसके अलावा, जब मलबे से टकराव का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाएगा, तब पृथ्वी की कक्षा से गुजरना भी मुश्किल हो जाएगा।

रडार और ऑप्टिकल टेलीस्कोप की सहायता से कक्षीय मलबे सहित अंतरिक्ष में अन्य वस्तुओं पर नज़र रखी जाती है। इन्हें धरती पर किसी उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाता है।

IONS ने पहला समुद्री अभ्यास आयोजित किया

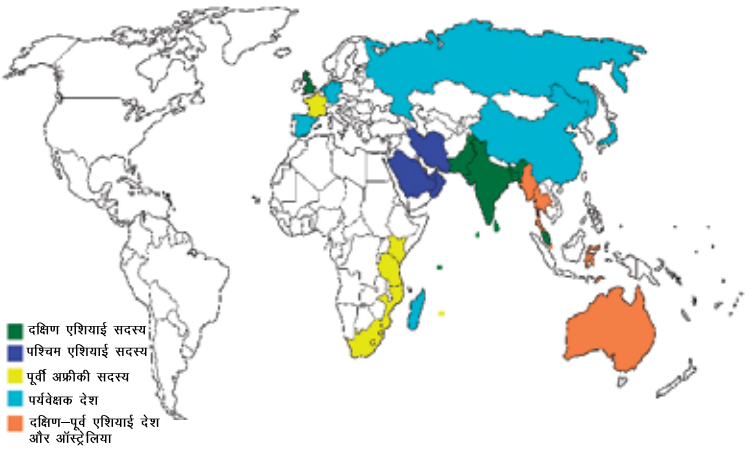

- हाल ही में, **IONS मेरीटाइम एक्सरसाइज 2022 (IMEX–22)** का पहला संस्करण **गोवा और अरब सागर** में आयोजित किया गया था।
  - **IONS** का पूरा नाम है– हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (Indian Ocean Naval Symposium)।
- इस अभ्यास का उद्देश्य सदस्य देशों की नौसेनाओं के बीच **मानवीय सहायता और आपदा राहत (Humanitarian Assistance and Disaster Relief: HADR)** अभियानों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है।
  - इस अभ्यास में IONS के 24 सदस्य देशों में से 15 ने भाग लिया था।
- IONS की स्थापना **वर्ष 2007** में की गई थी। यह एक **स्वैच्छिक पहल** है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) के तटवर्ती देशों की नौसेनाओं के बीच **समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है।** इसके लिए यह क्षेत्रीय रूप से प्रासंगिक समुद्री मुद्दों पर चर्चा के लिए एक खुला और समावेशी मंच प्रदान करता है।
  - इसने **क्षेत्रीय समुद्री मुद्दों पर चर्चा** को संभव बनाया है, **मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा दिया है,** और हिंद महासागर क्षेत्र में **समुद्री सुरक्षा सहयोग के मामले में महत्वपूर्ण सुधार किये** हैं।
  - IONS के उद्घाटन सेमिनार का आयोजन **वर्ष 2008 में भारतीय नौसेना की मेजबानी** में हुआ था।
- **IONS में 24 सदस्य देश शामिल** हैं। ये सब या तो IOR के तटवर्ती देश हैं या IOR में स्थित किसी क्षेत्र पर संप्रभु अधिकार रखने वाले देश हैं (मानचित्र देखें)।
- **भारत के लिए IONS का महत्व:**
  - यह **हिंद महासागर के तटवर्ती देशों के साथ संबंधों** को मजबूत और गहन करने हेतु एक मंच प्रदान करता है।
  - यह भारत **को समग्र सुरक्षा प्रदाता (Net–Security Provider)** होने के नाते, क्षेत्र में अपनी नेतृत्व क्षमता और आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने का अवसर उपलब्ध कराता है।
  - यह **हिंद महासागर क्षेत्र में नियम–आधारित और स्थिर समुद्री व्यवस्था के भारत के दृष्टिकोण** को साकार करने के लिए आवश्यक है।
  - यह **IOR में चीन की बढ़ती उपस्थिति को प्रति–संतुलित करने में भी सहायक है।**

अन्य सुर्खियाँ

सामूहिक निवेश योजनाएं (Collective investment schemes: CIS)

- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने CIS से संबंधित मानदंडों को सख्त करते हुए, इन्हें **म्युचुअल फंड (MF) के लिए विद्यमान नियमों के समान** कर दिया है। साथ ही, सेबी द्वारा CIS से अब **"रेगुलेटरी आर्बिट्रेज या विनियामक मध्यस्थता" को भी समाप्त** कर दिया गया है।
- CIS एक निवेश योजना है, **जहां विभिन्न व्यक्ति एक साथ मिलकर एकत्रित किये गए अपने पूरे फंड को एक विशेष संपत्ति में निवेश करते हैं।**
  - इस निवेश से प्राप्त **प्रतिफल (रिटर्न) और लाभ (प्रॉफिट्स)** को निवेशकों के बीच पहले से संपन्न **समझौते के अनुसार** साझा किया जाता है।
  - एक **सहकारी समिति द्वारा संचालित योजना को** CIS **नहीं** माना जाता है।

अम्बेडकर यंग एंटरप्रेन्योर मेंटर (Ambedkar Young Entrepreneur Mentor)

- इसका उद्देश्य **अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित ऐसे उद्यमियों की सहायता करना है,** जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उनके लिए शुरु की गई **वेंचर कैपिटल फण्ड (VCF) योजना** का लाभ उठाने में असमर्थ हैं।
  - VCF को अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को रियायती वित्त प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इसके तहत अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें सामाजिक क्षेत्र की पहल के तहत वित्त प्रदान किया जाता है।
- इस योजना के तहत VCF प्रबंधक, **स्थापित व्यवसायियों या कंपनियों के प्रमुख या बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के दिग्गजों को 'मेंटर' के रूप में सूचीबद्ध करेगा।** ये मेंटर्स प्रोटोटाइप के निर्माण और निवेश संबंधी सलाह देकर "युवा उद्यमियों" की मदद करेंगे।

भूवैज्ञानिक विरासत स्थल (Geological Heritage Sites)

- **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI)** ने हिमालयी क्षेत्र के भारतीय हिस्से में दो भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान की है।
  - पहला, **हिमाचल प्रदेश** में स्थित **शिवालिक फॉसिल पार्क** है। इस पार्क में प्लायो–प्लीस्टोसीन युगीन क्षेत्र की शिवालिक चट्टानों से प्राप्त किए गए कशेरुक जीवाश्मों के एक समृद्ध संग्रह को प्रदर्शित किया गया है।
  - दूसरा, **सिक्किम के ममले में स्थित स्ट्रोमेटोलाइट बेयरिंग डोलोमाइट / लाइम स्टोन ऑफ़ बक्सा फॉर्मेशन** है। यहाँ सिक्किम हिमालय में प्रारंभिक जीवन के दुर्लभ नमूनों को प्रदर्शित किया गया है।
- GSI, संरक्षण और रखरखाव के उद्देश्य से भू–विरासत स्थलों/ राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारकों की घोषणा करता है। इन स्थलों को संबंधित राज्यों में संरक्षित किया जाता है।

भारतीय भेड़िया (Indian Wolf)

- **भारतीय प्रायद्वीपीय भेड़ियों** (कैनिस ल्यूपस पलीप्स) के पहले वैज्ञानिक जनगणना के आंकड़ों से ज्ञात हुआ है कि देश में इस प्रजाति के केवल 3,100 सदस्य शेष हैं।
- **भारतीय भेड़िया, ग्रे वुल्फ की एक उप–प्रजाति है।**
  - यह भारत के अर्ध–शुष्क इलाकों के **झाड़ियों, घास के मैदानों और कृषि–पशुचारण क्षेत्रों** में पाए जाने वाले सामान्य बड़े मांसाहारी जीवों में से एक है।
  - वर्तमान में, इस प्रजाति की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसके बाद ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं।
  - **खतरा:** शिकार, अतिक्रमण और भूमि परिवर्तन, मानव–पशु संघर्ष के मामलों में वृद्धि, आदि ।

	➢ **संरक्षण की स्थिति** ■ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की **अनुसूची I में इंडेंजर्ड** प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध। ■ वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (CITES) के **परिशिष्ट 1** में शामिल। ■ **IUCN:** लीस्ट कंसर्न।
डिजिटल संसद ऐप (Digital Sansad App)	❍ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय **(MeitY) "डिजिटल संसद"** नाम से एक ऐप विकसित कर रहा है। यह ऐप नागरिकों, संसद सदस्यों और अन्य सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने में सहायक होगा। ➢ यह सांसदों और हितधारकों को अपने कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने में सक्षम बनाएगा। ➢ यह लोक सभा के दैनिक कामकाज से संबंधित सभी सूचनाओं को देखने के लिए **वन–स्टॉप, बाधारहित, पेपरलेस और एक परिष्कृत मंच होगा।** ➢ यह भारतीय प्रधान मंत्री के **"डिजिटल गवर्नमेंट"** के दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करेगा।
सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व	**श्यामजी कृष्ण वर्मा (4 अक्टूबर 1857– 31 मार्च 1930)** ❍ श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में **इंडियन होम रूल सोसाइटी,** इंडिया हाउस (1905) और द **इंडियन सोशियोलॉजिस्ट** की स्थापना की थी। ➢ इंडिया हाउस, ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय था। यह उग्र राष्ट्रवादियों के लिए एक बैठक केंद्र या मिलन स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। ➢ उनकी मासिक पत्रिका, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट **राष्ट्रवादी विचारों की प्रसारक बन गई।** ➢ इंडियन होमरूल सोसाइटी के माध्यम से, उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन की आलोचना की। ❍ **आदर्श और मूल्य:** कट्टर राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी, समाज सुधारक और नेतृत्वकर्ता। ❍ उन्हें समर्पित **'क्रांति तीर्थ'** नामक एक स्मारक का निर्माण और उद्घाटन वर्ष 2010 में मांडवी के निकट किया गया था। **हरिचंद ठाकुर** ❍ हरिचंद ठाकुर का जन्म **वर्ष 1812 में बांग्लादेश के ओराकांडी** में ठाकुर समुदाय (अनुसूचित जाति समुदाय) के एक किसान परिवार में हुआ था। ❍ हरिचंद ठाकुर का परिवार वैष्णव हिंदू था। उन्होंने **वैष्णव हिंदू धर्म के एक संप्रदाय 'मतुआ' की स्थापना की थी।** ➢ इसे **'नमोशूद्र' समुदाय के सदस्यों द्वारा अपनाया गया,** जिन्हें तब चांडाल के सामान्य अपमानजनक नाम से भी जाना जाता था और अछूत माना जाता था। ➢ इस संप्रदाय ने जातिगत उत्पीड़न का विरोध किया। ❍ **आदर्श और मूल्य:** समाज सुधारक, देखभाल और दयालुता। ❍ हरिचंद ठाकुर ने आजादी के पूर्व के दौर में **अविभाजित बंगाल में दबे–कुचले, दलित और वंचित लोगों के कल्याण** के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
सुर्ख़ियों में रहे स्थल	**सरिस्का टाइगर रिजर्व** ❍ **सरिस्का,** राजस्थान के **अलवर** में स्थित है। ❍ यह **रॉयल बंगाल टाइगर** के पर्यावास के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के अन्य महत्वपूर्ण जीवों में तेंदुआ, जंगली कुत्ता, जंगली बिल्ली, लकड़बग्घा आदि शामिल हैं। ❍ यह एक **वन्यजीव अभयारण्य** और एक **टाइगर रिजर्व** है। ❍ यह **कंकर वाड़ी किले, नीलकंठ मंदिर और पांडुपोल हनुमान मंदिर** के लिए भी प्रसिद्ध है। **यमन (राजधानी: सना)** ❍ सऊदी अरब ने घोषणा की है कि वह और उसके सहयोगी देश **यमन में युद्ध में एकतरफा संघर्ष विराम का पालन करेंगे।** ❍ **राजनीतिक सीमाएँ:** ➢ यह **अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर** पर स्थित है। ➢ यह **उत्तर में सऊदी अरब, पूर्व में ओमान, दक्षिण में अदन की खाड़ी और अरब सागर तथा पश्चिम में लाल सागर** से घिरा है। ➢ यह अफ्रीकी देशों में **जिबूती, इरिट्रिया और सोमालिया के साथ समुद्री सीमा** साझा करता है। ■ लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाला **'बाब अल मंदेब' जलडमरूमध्य** इसके दक्षिण–पश्चिम में स्थित है। ❍ **भौगोलिक विशेषताएं:** ➢ **जलवायु:** इसकी जलवायु दो मुख्य मौसम प्रणालियों के बीच स्थित है: नियमित उत्तरी पवनें (भूमध्यसागर बेसिन से) और दक्षिण–पश्चिम मानसून पवनें। ➢ **उच्चतम बिंदु:** जबल एन–नबी शुऐब (3,760 मीटर) ➢ यह **एक शुष्क देश है,** और **यहां कोई स्थायी जलधारा मौजूद नहीं** है। ➢ **सोकोत्रा द्वीप** (अरब सागर) यमन का **सबसे बड़ा द्वीप है।** ❍ **ओल्ड सिटी ऑफ़ सना, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है।**